

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-19102021-230520
SG-DL-E-19102021-230520असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302]	दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 18, 2021/आश्विन 26, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 215
No. 302]	DELHI, MONDAY, OCTOBER 18, 2021/ASVINA 26, 1943	[N. C. T. D. No. 215

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIशिक्षा निदेशालय, शिक्षा का अधिकार शाखा
अधिसूचना

दिल्ली 12 अक्टूबर, 2021

स. फा. 23(7)/डीई/आरटीई/2017/पीएफ-VI/262.-नि: शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) की धारा 2 की उपधारा (क) के खण्ड (ii) के उप खण्ड (ख) के साथ पठित धारा 38 तथा धारा 34 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित संरचना अनुसार राज्य सलाहकार परिषद गठित करती है।

अध्यक्ष

माननीय शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।

पदेन सदस्य

1. प्रधान सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
2. निदेशक (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
3. निदेशक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद।

4. अध्यक्ष, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ।
5. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा—दिल्ली ।
6. अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (विद्यालय), शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, जो परिषद के पदेन सदस्य—सचिव होंगे ।

नामित सदस्य

1. सुश्री उषा जगनिक, सामाजिक कार्यकर्ता और एसएमसी सदस्य ।
2. सुश्री सी. पी. ओस्टा, पूर्व डीडीई (जिला), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ।
3. डॉ. एनी कोशी, प्राचार्य, सेंट मैरी स्कूल, दिल्ली ।
4. सुश्री दिव्या जालान, एएडीआई की संस्थापक सदस्य (एक्शन फॉर एबिलिटी डेवलपमेंट एंड इंकलूजन) ।
5. डॉ. शारदा कुमारी, सदस्य बाल कल्याण समिति और पूर्व प्रधानाचार्य डाइट, आर. के. पुरम ।
6. डॉ. जयश्री ओझा, सलाहकार, सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन ।
7. श्री शैलेंद्र कुमार शर्मा, निदेशक के प्रधान सलाहकार, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ।
8. श्री तरुण चेरुकुरी, सीईओ और सीओ संस्थापक, इंडस एक्शन ।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उपबंधों को प्रभावी तरीके से लागू करने के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना राज्य सलाहकार परिषद का प्रकार्य होगा। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, राज्य सलाहकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

निबंधन एवं शर्तें अलग से अधिसूचित की जायेंगी।

राज्य सलाहकार परिषद के नामित सदस्यों के कार्यकाल की अवधि इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से दो वर्ष की होगी।

यह अधिसूचना, पूर्ववर्ती अधिसूचना नं. 23(7)/डीई/आरटीई/2011/369 दिनांक 17.05.2018 का स्थान लेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप राज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
रामचन्द्र महादेव शिनगारे, उप सचिव

DIRECTORATE OF EDUCATION, RIGHT TO EDUCATION BRANCH

NOTIFICATION

Delhi, the 12th October, 2021

No. F.23 (7)/DE/RTE/2017/PF-VI/ 262.—In exercise of the powers conferred by section 38 and sub-section (1) of section 34 read with sub clause (B) of clause (ii) of sub – section (a) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby reconstitutes the State Advisory Council as per the following composition:-

Chairperson

Hon'ble Minister of Education, Government of National Capital Territory of Delhi.

Ex-officio Members

1. Principal Secretary (Education), Government of National Capital Territory of Delhi.
2. Director (Education), Government of National Capital Territory of Delhi.

3. Director, State Council of Educational Research and Training, Delhi.
4. Chairperson, Delhi Commission for Protection of Child Rights.
5. State Project Director (Samagra Shiksha-Delhi).
6. Additional Director of Education (Schools), Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, shall be ex-officio Member-Secretary of the Council.

Nominated members

1. Ms. Usha Jagrik, Social worker and SMC Member.
2. Ms. C.P. Osta, Former DDE (District), Govt. of NCT of Delhi.
3. Dr. Annie Koshi, Principal, St. Mary's School, Delhi.
4. Ms. Divya Jalan, Founder member of AADI (Action for Ability Development and Inclusion)
5. Dr. Sharda Kumari, Member, Child Welfare Committee & Former Principal DIET, RK Puram.
6. Dr. Jayshree Oza, Advisor, Central Square Foundation.
7. Mr. Shailendra Kumar Sharma, Principal Advisor to Director, Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi.
8. Mr. Tarun Cherukuri, CEO and CO Founder, Indus Action.

The function of the State Advisory Council shall be to advise the State Government on implementation of the provisions of The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, in an effective manner. The Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi will serve as the Secretariat to the State Advisory Council.

The terms and conditions would be notified later.

The period of tenure of nominated members of State Advisory Council would be two years from the date of issue of this notification.

This notification replaces the previous notification No. F.23 (7)/RTE/2011/369 dated 17/05/2018 on the subject.

By Order and in the Name of Hon'ble Lieutenant Governor
of National Capital Territory of Delhi,
RAMCHANDRA MAHADEV SHINGARE, Dy. Secy.